



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-07.02.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व 12-12 हजार रू0 अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-305/2019 धारा 302, 201 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- अनिल कुमार विश्वकर्मा पुत्र बनारसी विश्वकर्मा व 02- अरविन्द कुमार पटेल पुत्र लालजी पटेल निवासीगण- चुरामनपुर थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-06.02.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-01 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण 01- अनिल कुमार विश्वकर्मा व 02- अरविन्द कुमार पटेल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 में सश्रम आजीवन कारावास व 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भा0द0वि0 में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।